सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 11.05.2026 को आयोजित विभागीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही:

क्र0सं0	प्रशाखा / विषय	निर्णय / निदेश
1	पंचायत सरकार भवन से संबंधित।	1. राज्य अंतर्गत वैसे पंचायत, जिसमें **पंचायत सरकार भवन निर्माण की स्वीकृति अब तक नहीं हुई है**, के संबंध में संलेख तैयार कर उच्च स्तरीय निर्णय हेतु उपस्थापित किया जाए। 2. विभाग द्वारा चयनित 11 बैंकों के शाखाओं में पंचायतों का खाता संधारित है। उक्त 11 बैंकों द्वारा शाखा / विस्तारित शाखा पंचायत सरकार भवन में खोले जाने / shift किए जाने हेतु संबंधित बैंक के साथ बैठक आयोजित किया जाए। 3. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पंचायत सरकार भवन में डाकघर को shift किए जाने की गति अत्यंत धीमी है। उक्त के आलोक में किराये के भवन में संचालित डाकघर को पंचायत सरकार भवन में shift किये जाने के कार्य में गति लाने हेतु **मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल (CPMG), बिहार सर्किल, जी0पी0ओ0, पटना** के साथ बैठक आयोजित किया जाए। 4. 2923 निर्मित पंचायत सरकार भवन में से मात्र 2522 पंचायत सरकार भवन का हस्तांतरण किया गया है। उक्त के आलोक में शेष 401 पंचायत सरकार भवनों का हस्तांतरण एवं संचालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित जिला के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित किया जाए। 5. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों (जलग्रह क्षेत्र) में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु मॉडल प्राक्कलन (नक्शा सहित) तैयार कर तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था, जो अबतक अप्राप्त है। उक्त के संबंध में पुनः भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को स्मारित किया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–2)
2	निर्मित पंचायत सरकार भवनों में आधार केन्द्र की स्थापना।	समीक्षा बैठक के क्रम में पाया गया कि **कार्यपालक सहायक को UIDAI / प्राधिकृत संस्था द्वारा आयोजित अनिवार्य प्रमाणन (Certification for Aadhaar enrollment and updates) की गति अत्यंत धीमी है।** प्राथमिकता के आधार पर प्रथम चरण में 2000 ग्राम पंचायत (जिसमें कम्प्यूटर एवं Accessories उपलब्ध कराया गया है) के कार्यपालक सहायक एवं द्वितीय चरण में अन्य सभी कार्यपालक सहायक का अनिवार्य Certification करवाया जाए। ग्राम पंचायतों द्वारा Aadhaar Kit, Internet इत्यादि की व्यवस्था के संबंध में पंचायतवार जानकारी प्राप्त कर सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए दिनांक 21.05.2026 से 2000 पंचायत सरकार भवनों में आधार केन्द्र स्थापित कर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–2 एवं अनुश्रवण कोषांग)
3	CCTV का अधिष्ठापन	प्रत्येक राजस्व ग्राम के Entry Point एवं Exit Point पर CCTV का अधिष्ठापन किया जाना है। उक्त के संबंध में CCTV अधिष्ठापन का स्थान एवं संख्या, Specification, Estimate, निधि की व्यवस्था, मरम्मति कार्य इत्यादि के संबंध में विचार–विमर्श किये जाने हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गृह विभाग, बिहार, पटना; परिवहन विभाग, बिहार, पटना एवं बेल्ट्रॉन, पटना के साथ बैठक आयोजित करने हेतु संचिका उपस्थापित किया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–2)

क्र0सं0	प्रशाखा / विषय	निर्णय / निदेश
4	जिला स्तर पर मोक्षधाम का निर्माण कराये जाने के संबंध में।	जिला स्तर पर प्रमुख मोक्षधाम / श्मशान घाट / शवदाह गृह निर्माण जिला परिषद् द्वारा किया जाना है। उक्त के आलोक में पंचायत क्षेत्र में अवस्थित जिला स्तरीय प्रमुख शवदाह घाट की सूची उपलब्ध कराये जाने हेतु सभी जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–2 एवं प्रशाखा–10)
5	पंचायत सचिव द्वारा हड़ताल की अवधि में वित्तीय लेन–देन (Financial Transaction) किये जाने के संबंध में।	समीक्षा के क्रम में प्रशाखा द्वारा सूचित किया गया कि पंचायत सचिवों द्वारा हड़ताल की अवधि के दौरान दैनिक सभी कार्य को बाधित किया गया है, किन्तु पंचायत खाता से वित्तीय लेन–देन किया जा रहा है। उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी को संबंधित पंचायत सचिवों से स्पष्टीकरण की मांग कर जबाबदेही तय करते हुए विधिसम्मत् आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–4 एवं अनुश्रवण कोषांग)
6	सोलर स्ट्रीट लाईट का निरीक्षण।	1. समीक्षा के क्रम में बताया गया कि पंचायतों में अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाईट का दिनांक 08.05.2026 (शुक्रवार) को निरीक्षण किये जाने का निदेश दिया गया था। उक्त के आलोक में Bottom 5 जिला यथा–खगड़िया, जहानाबाद, शेखपुरा, अरवल एवं पूर्णियां जिला जहाँ अपेक्षाकृत बहुत ही कम सोलर स्ट्रीट लाईट का निरीक्षण किया गया तथा पटना एवं शिवहर जिला जहाँ सोलर स्ट्रीट लाईट का निरीक्षण दिनांक 08.05.2026 को नहीं किया गया, के जिला पंचायत राज पदाधिकारी से विभागीय निदेश का अनुपालन नहीं किये जाने हेतु स्पष्टीकरण की मांग की जाए। 2. दिनांक 27.04.2026 को विभागीय समीक्षा बैठक के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के तहत अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाईटों का शत–प्रतिशत CMS Integration कार्य एवं CMS Portal का Access जनप्रतिनिधियों एवं उच्च स्तर के पदाधिकारी को दिये जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–3)
7	ग्रामीण हाट–बाजार विकसित करने के संबंध में।	सात निश्चय–3 अंतर्गत ग्रामीण हाट–बाजार विकसित किये जाने के संबंध में **प्रस्ताव** एवं जिला को भेजा जाने वाला **मार्गदर्शिका** से संबंधित संचिका माननीय मंत्री द्वारा विमर्श हेतु वापस की गई है। उक्त के आलोक में माननीय मंत्री से विमर्श हेतु तिथि एवं समय निर्धारण के लिए पुनः संचिका उपस्थापित किया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–3)
8	ई–पंचायत बिहार पोर्टल पर UC Module Live किये जाने के संबंध में।	समीक्षा के क्रम में प्रशाखा एवं अनुश्रवण कोषांग द्वारा बताया गया कि ई–पंचायत बिहार पोर्टल पर NIC, Patna द्वारा UC Online Module में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है। उपर्युक्त के आलोक में पोर्टल पर आवश्यक संशोधन के पश्चात् यथाशीघ्र **UC Module Live** किया जाना सुनिश्चित किया जाए। (अनुपालन– अनुश्रवण कोषांग एवं प्रशाखा–7)
9	वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी /अंकेक्षण पदाधिकारी की सेवा संविदा पर लिये जाने के संबंध में।	समीक्षा के क्रम में प्रशाखा द्वारा बताया गया कि वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी/अंकेक्षण पदाधिकारी की सेवा संविदा के आधार पर लिये जाने हेतु प्रकाशित विज्ञापन के विरूद्ध कुल 70 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उक्त आवेदनों की जाँच (Scrutiny) कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–7)

क्र0सं0	प्रशाखा / विषय	निर्णय / निदेश
10	पंचायत सचिव के रिक्त पदों पर नियुक्ति।	समीक्षा बैठक के दौरान प्रशाखा द्वारा बताया गया कि पंचायत सचिव की नियुक्ति के संबंध में सारण एवं सिवान जिला को बार–बार स्मारित किए जाने के बावजूद भी उक्त जिला से अधियाचना (रोस्टर सहित) उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त के आलोक में अन्य सभी जिला से प्राप्त अधियाचना के आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विहित प्रपत्र में अधियाचना उपलब्ध कराया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–4)
11	MJC/ LPA/SLP के संबंध में।	सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी अपने प्रशाखा अंतर्गत MJC/LPA/SLP इत्यादि के लंबित मामलों की समीक्षा कर विभागीय पैनल अधिवक्ता के माध्यम से Counter Affidavit तैयार कराकर समयावधि में दायर कराना सुनिश्चित करें। (अनुपालन– सभी प्रशाखा)
12	ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर एवं Accessories उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।	समीक्षा के क्रम में बताया गया कि चयनित ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर एवं Accessories उपलब्ध कराये जाने हेतु एजेंसी का चयन कर दिनांक 16.03.2026 को LOA निर्गत किया गया था, जिसके अनुसार 3 महीने के अन्दर एजेंसी द्वारा ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर एवं Accessories उपलब्ध कराया जाना था। LOA निर्गत किये जाने के लगभग 2 महीने बाद भी एजेंसी द्वारा पंचायतों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। उपर्युक्त के आलोक में एजेंसी को विहित समयावधि में ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर एवं Accessories उपलब्ध कराया जाने हेतु निदेशित किया जाए। (अनुपालन– परियोजना निदेशक, बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था)

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक: 9प / प्र0–08–802(खण्ड) / 2016 / 7284 / पं०रा०   पटना, दिनांक 12/5/2026

प्रतिलिपि: निदेशक / परियोजना निदेशक / अपर सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी / अवर सचिव / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार / सभी प्रशाखा पदाधिकारी / प्रभारी अनुश्रवण कोषांग / आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि अपने प्रशाखा से संबंधित विषयों पर कार्रवाई करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाये।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांक: 9प / प्र0–08–802(खण्ड) / 2016 / 7284 / पं०रा०   पटना, दिनांक 12/5/2026

प्रतिलिपि:–सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / निदेशक के आशुलिपिक / अपर सचिव के आशुलिपिक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांक: 9प / प्र0–08–802(खण्ड) / 2016 / 7284 / पं०रा०   पटना, दिनांक 12/5/2026

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव